



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

No. 899]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.1361(अ).— केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1112(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गये थे, जिनमें प्रभावित सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवा दी जाती हैं, पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव माँगे गए थे;

जनता को, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 29 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 47 के उप-नियम (1) में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
(i) "(क) नियम 138क में विनिर्दिष्ट फास्टैग लगाने का सबूत;"
3. मूल नियम के, नियम 138क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
"138क. फास्टैग का लगाना – (1) यथास्थिति, यान के निर्माता या उसके प्राधिकृत ब्यौहारी द्वारा, 1 दिसम्बर, 2017 को और उसके पश्चात् बेचे जाने वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यानों में ऐसा फास्टैग फिट किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु किसी ऐसे यान की दशा में जो ड्राइव-एवे-चेसिस के रूप में विंडस्क्रीन के बिना बेचा जाता है, ऐसे फास्टैग को यान के स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विंडस्क्रीन पर लगाया जाएगा।"

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, फास्टैग से किसी ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है जो यानों के सामने वाली विंडस्क्रीन पर लगी हो।

[फा.सं. आर.टी.11028/16/2011-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार सा.का.नि. 643 (अ), तारीख 27.06.2017 द्वारा संशोधित किए गये।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2017

G.S.R.1361(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1112 (E), dated the 29th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2017;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules were considered.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (11th Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 47, in sub-rule 1, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely: -
“(ia) proof of fitment of FASTag specified in rule 138A;”.
3. In the principal rules, for the rule 138A, the following rule shall be substituted, namely: -

“138A. Fitment of FASTag.- Categories M and N motor vehicles sold on and after the 1st December, 2017, shall be fitted with FASTag as may be specified by the Central Government, from time to time, by the manufacturer of the vehicle or its authorised dealer, as the case may be:

Provided that in case of any vehicle which is sold in the form of drive-away-chassis without windscreen, FASTag shall be fitted on the windscreen by the vehicle owner before the registration of such vehicles.

Explanation. – For the purposes of this rule, FASTag means an onboard unit (transponder) or any such device fitted on the front windscreen of the vehicle.”.

[No. RT-11028/16/2011-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 643(E), dated the 27.06.2017.